समक्ष महाबीर सिंह सिंधु, जे.

इशिता उप्पल-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य -

प्रतिवादी

2019 का सीडब्ल्यूपी नंबर 20275

23 फरवरी, 2021

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-आर्थिक रूप से कमजोर खंड (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी की याचिकाकर्ता मेधावी कानून की छात्रा-चौथे वर्ष में फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, रोल से हटा दी गई, इंटर्नशिप रद्द कर दी गई-बीमारी के कारण याचिकाकर्ता 6 वें सेमेस्टर के एक पेपर में उपस्थित नहीं हो सकी-संबंधित क्लर्क द्वारा प्राप्त चिकित्सा रिकॉर्ड-एक वर्ष के लिए कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली-देरी के बाद, निदेशक ने सूचित किया कि वह 10 वें सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ पेपर में उपस्थित होने की हकदार है, मामले को कंपार्टमेंट/पुनः प्रकट होने के रूप में मानते हुए 8 वें सेमेस्टर का ट्यूशन शुल्क जमा करने के लिए कहा, गंभीर बीमारी के मामले में अवसर के रूप में नहीं-8 वें सेमेस्टर का ट्यूशन शुल्क रखने या फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति से इनकार न करने का अनुरोध-अनसुना हो गया, पहले कुलपति और फिर नियंत्रण बोर्ड ने सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया - याचिकाकर्ता ने अनसुनी की निंदा की - अधिकारीयों द्वारा कारण दर्ज करने के आदेश पारित किये गए - न्यायालय में शपथ पत्र भरकर फार्मों को उचित नहीं ठहराया जा सकता - विद्यार्थी विश्वविद्यालय के

लिए नहीं बने हैं परन्तु विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए बने हैं - रिट पेटिशन 1 लाख रूपए लागत सहित स्वीकृत - विश्वविद्यालय के मनमाने, अनुचित कार्यों/स्टैंड की निंदा की गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि निदेशक, यू. आई. एल. एस. ने प्रतिवादी के कार्यों को शपथ पत्र/अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से उचित ठहराने की कोशिश की है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी यानी कुलपति/नियंत्रण बोर्ड, यू. आई. एल. एस. द्वारा पारित आदेश, याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए फ्रेंच-II पेपर के लिए उसकी गंभीर बीमारी के साथ-साथ फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति को बंद करने के कारण, न तो रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है, न ही आज तक उसे प्रदान किया गया है।

(पैरा 34)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि यह बहुत ही प्राथमिक बात है कि किसी की भी बिना सुने निंदा नहीं की जानी चाहिए और इस प्रकार के मामलों का निर्णय लेने वाला प्राधिकारी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य है।इतना ही नहीं, कारणों को भी ऐसे आदेश की वैधता को बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, तर्क संबंधित प्राधिकारी द्वारा मौखिक और लिखित रूप में आना चाहिए; किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केवल एक शपथ पत्र देना, किसी भी तरह से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का विकल्प नहीं होगा। स्वीकार करते हुए, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आदेश (आदेश) रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है और न ही इसे किसी भी समय याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था/किया गया था।इसके अलावा, न तो दिनांक 26.06.2019 (P-4) के विवादित पत्र से और न ही दिनांक 10.07.2019 (P-5) के संचार से, यह स्पष्ट है कि क्रमशः कुलपति/नियंत्रण बोर्ड, UILS द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने का क्या कारण था/थे।

(पैरा 35)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि कुलपति को खंड 7 (उक्त) के तहत गंभीर बीमारी आदि की स्थिति में उम्मीदवारों को उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उनकी संतुष्टि के बाद उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और अवसर प्रदान करने की शक्तियां सौंपी गई हैं; इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अस्वीकृति आदेश पारित करने से पहले अपना मामला साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।चूँकि कुलपति और नियंत्रण बोर्ड याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर देने में विफल रहे हैं, इसलिए इस न्यायालय की राय में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।

(पैरा 37)

आगे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि किसी राष्ट्र की समृद्धि भारी राजस्व के संग्रह पर या लाभ और हानि के सूत्र को अपनाने के कारण या ऊंची इमारतों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि अपने नागरिकों की कड़ी मेहनत के आधार पर, विशेष रूप से, राष्ट्रीय हित में ईमानदारी के साथ-साथ पूर्ण समर्पण के साथ मानवीय मूल्यों की बेहतर समझ रखने वाले और अच्छी शिक्षा द्वारा विकसित होने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है।

(पैरा 38)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि, प्रतिवादीओं को इस मामले में कठोर कदम उठाते हुए इस बात का एहसास नहीं था कि "छात्र विश्वविद्यालय के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि विश्वविद्यालय छात्र के लिए मौजूद है"। ऐसा लगता है कि ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के एक प्रतिभाशाली छात्र को प्रोत्साहित करने की बजाये, प्रतिवादी ने उसे कुछ हजारों रुपये में बी. ए.,

एल. एल. बी. पाठ्यक्रम पूरा करने से रोकने की कोशिश की, जो वह वित्तीय अक्षमता के कारण भुगतान करने में समर्थ नहीं थी।शायद, प्रतिवादी इस तथ्य से अनजान रहे कि वे एक निजी प्रतिष्ठान नहीं चला रहे हैं; बल्कि विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं जिसका गौरवशाली अतीत है, जिसने कई महान प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के अलावा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्रियों सहित कई महान हस्तियां दी हैं।

(पैरा 41)

आगे कहा कि यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रतिवादी की कार्रवाई न केवल विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यों के विपरीत चल रही है, जो कि ऊपर निकाली गई रिपोर्ट में महान दूरदर्शी द्वारा व्यक्त की गई थी; बल्कि यह भी सरासर गलत है और यह समावेशी शिक्षा की अवधारणा के विपरीत होने के कारण कानून में अक्षम्य है।

(पैरा 42)

इशिता उप्पल, स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा से।
सुभाष आहूजा, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए।

महाबीर सिंह सिंधु, जे.

"जब भगवान किसी महान कार्य पर विचार करते हैं, तो वह उसे किसी गरीब, कमजोर, मानव प्राणी के हाथ से शुरू करते हैं, जिसे बाद में वह सहायता प्रदान करते हैं।" मार्टिन लूथर

(1) याचिकाकर्ता, जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में 10+2 परीक्षा (वर्ष, 2014-15) में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, को विश्वविद्यालय विधि अध्ययन संस्थान (यू. आई. एल. एस.), पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तावित 5 वर्षीय बी. ए., एल. एल. बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला।वह

एक आर्थिक रूप से कमजोर खंड (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित है; मेधावी होने के कारण, उत्तरदाताओं द्वारा फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी; लेकिन इसे चौथे वर्ष में बंद कर दिया गया था और उसे क्रमशः 26.06.2019 और 10.07.2019 (पी-4 और पी-5) के विवादित पत्रों/संचारों के माध्यम से सूचित किया गया था।उन्हें विभाग की सूची से भी हटा दिया गया है, जिसके कारण अंततः यू. आई. एल. एस. निदेशक द्वारा 19.07.2019 (पी-8) को 9 वें सेमेस्टर में उसके इंटर्नशिप कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।

(2) उपरोक्त कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित, याचिकाकर्ता ने विवादित पत्रों/संचारों को रद्द करने के साथ-साथ प्रतिवादी को अपनी स्वतंत्र/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति बहाल करने का निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है; आगे की प्रार्थना उसके इंटर्नशिप कार्यक्रम की समाप्ति पर अंतरिम रोक के लिए है।

(3) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शैक्षणिक सत्र (2015-16) के दौरान 5 वर्षीय बी. ए., एल. एल. बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता को शुरू से ही फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। लेकिन 12.05.2018 पर अपनी बीमारी के कारण, वह एक पेपर (फ्रेंच-I) में उपस्थित नहीं हो सकी।

6 वें सेमेस्टर का जो कि 14.05.2018 पर आयोजित होने वाला था। मेडिकल रिकॉर्ड (पी-1) के अनुसार, याचिकाकर्ता को डॉक्टर ने 12.05.2018 से 16.05.2018 तक 5 दिनों के बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी, जिसे विधिवत यू. आई. एल. एस. के कार्यालय में भेजा गया था और संबंधित क्लर्क, अर्थात् Ms.Parveen द्वारा प्राप्त किया गया था।

(4) सूचना पुस्तिका के दिशानिर्देश संख्या 9 के संदर्भ में (पी -9), याचिकाकर्ता को फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया और जिसे उन्होंने दो साल तक जारी रखा।इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी अपनी फीस वापस कर देते थे जो वह पहले ही भर चुकी थी; लेकिन चौथे वर्ष में, जब उसने तीसरे वर्ष की फीस वापस करने के लिए कहा, तो प्रतिवादी इस आधार पर सहमत नहीं थे कि याचिकाकर्ता ने 6 वें सेमेस्टर का अपना विस्तृत अंक पत्र (डीएमसी) प्रस्तुत नहीं किया है।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी बीमारी के कारण अपने फ्रेंच-III पेपर में उपस्थित नहीं हो सकी, लेकिन एक साल की अवधि के लिए इस मामले में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।पहली बार, याचिकाकर्ता को निदेशक, यू. आई. एल. एस. द्वारा दिनांकित 06.06.2019 (पी-2) पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि वह अप्रैल/मई 2020 में 10 वें सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ फ्रेंच III के पेपर में बैठने के लिए पात्र है, लेकिन उसे 8 वें सेमेस्टर का ट्यूशन शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था।इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जब भी वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रियायत के लिए पात्र होगी, उसका मामला आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।इसके बाद 24.06.2019 (P-3) पर, याचिकाकर्ता के पिता ने निदेशक, यू. आई. एल. एस. के साथ-साथ कुलपति से 8 वें सेमेस्टर के लिए ट्यूशन शुल्क रखने या छात्रवृत्ति को तब तक रोकने का अनुरोध किया जब तक कि वह अपने फ्रेंच-III पेपर को पास नहीं कर लेती; लेकिन उसे फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति के अवसर से पूरी तरह से वंचित न करें।कुलपति ने सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, उपरोक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ता को दिनांक 26.06.2019 (P-4) के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया।यहां तक कि नियंत्रण बोर्ड, यू. आई. एल. एस. ने भी इसी

तरह का दृष्टिकोण अपनाया और याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसे उसे दिनांकित 10.07.2019 (पी-5) के पत्र के माध्यम से भेजा गया था।इसके बाद 12.07.2019 पर, याचिकाकर्ता को उसके इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 15.07.2019 से 29.07.2019 (P-6) में प्रतिनियुक्त किया गया, जिसे उसने विधिवत शुरू किया, लेकिन विभाग के उपरोक्त नाम वाले क्लर्क से पूछने पर, याचिकाकर्ता को इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई और उसका नाम इंटर्नशिप कार्यक्रम से गुजर रहे उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया।उपरोक्त कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित, याचिकाकर्ता द्वारा फिर से 19.07.2019 (P-7) दिनांकित एक अभ्यावेदन किया गया था, लेकिन निदेशक, UILS ने इसे 19.07.2019 (P-8) दिनांकित संचार के माध्यम से अस्वीकार कर दिया, यह देखते हुए कि वह 8 वें और 9 वें सेमेस्टर के लिए शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण विभाग की सूची में नहीं थी और यह भी कहा कि EWS श्रेणी के तहत शुल्क रियायत के लिए उनके अनुरोध को कुलपति के साथ-साथ नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।

(5) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यू. आई. एल. एस. (पी-10) द्वारा जारी दिनांक 04.07.2019 के नोटिस के अनुसार, 9 वें सेमेस्टर के लिए विलंब शुल्क के बिना प्रवेश शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि निम्नलिखित तरीके से 15.07.2019 से 27.07.2019 तय की गई थीः- "रूपए 39780/- की पहली किश्त-पंजीयक, पी. यू., चंडीगढ़ के पक्ष में, रूपए 9300/- का डिमांड ड्राफ्ट-निदेशक, यू. आई. एल. एस. के पक्ष में।"

(6) यह प्रतिवादी द्वारा एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने बैंकर के चेक द्वारा से उपरोक्त राशि जमा की।

(7) प्रस्ताव की सूचना के अनुसरण में, प्रतिवादियों की ओर से प्रो.रतन सिंह, निदेशक, यू. आई. एल. एस. छोटे जवाब के रूप में एक शपथ पत्र को दाखिल किया गया था; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि यह ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति नहीं है; बल्कि केवल शिक्षण शुल्क/प्रयोगशाला के लिए रियायत/छूट है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सेमेस्टर के लिए 10+2 परीक्षा में याचिकाकर्ता के विद्या सम्बन्धी प्रदर्शन को देखते हुए लाभ की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसे चौथे वर्ष में बंद कर दिया गया था क्योंकि वह अपनी 6 वीं सेमेस्टर परीक्षा को पास नहीं कर सकी थी।यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के दौरान 6 वें सेमेस्टर के नियमित छात्र के रूप में नामांकित किया गया था, लेकिन वह 14.05.2018 पर अपने फ्रेंच-3 पेपर में उपस्थित होने में विफल रही, जो केवल 12.06.2018 पर संबंधित क्लर्क के ध्यान में तब आया जब याचिकाकर्ता के पिता ने चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन जमा किया था।इसके अलावा प्रस्तुत किया गया कि 13.06.2018 पर, याचिकाकर्ता के दस्तावेजों को 14.07.2018 पर याचिकाकर्ता के फ्रेंच-III पेपर को फिर से आयोजित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया था और इस संबंध में तिथि-पत्रक को 06.07.2018 पर अधिसूचित किया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई।फिर से 17.05.2019 पर, 2018-19 सत्र के नियमित छात्रों के लिए फ्रेंच-III पेपर की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया।इसके परिणामस्वरूप, उनके मामले को 6 वें सेमेस्टर के लिए कंपार्टमेंट/पुनः उपस्थित उम्मीदवार के रूप में माना गया।चूँकि ई. डब्ल्यू. एस. छात्रों के लिए स्वतंत्रता जारी रखने की अनुमति केवल उन छात्रों को दी जाती है जो पहले प्रयास में कुल 55 प्रतिशत अंकों के साथ सभी पेपर पास करते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे पास नहीं

किया, इसलिए, पुस्तिका के दिशानिर्देश 9 के खंड (vi) के अनुसार, वह किसी भी स्वतंत्रता की हकदार नहीं है।यह भी प्रस्तुत किया गया कि रियायत को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और खंड (vi) के तहत निर्धारित शर्त को सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए।प्रतिवादीओं ने आगे कहा कि इंटर्नशिप कार्यक्रम में भागीदारी केवल उन छात्रों के लिए मान्य है जो संस्थान की सूची में हैं; लेकिन याचिकाकर्ता का नाम विभाग की सूची में नहीं था क्योंकि उसने न तो 8 वें सेमेस्टर के लिए शुल्क जमा किया था और न ही 9 वें सेमेस्टर में प्रवेश लिया था, इस प्रकार, उसने इंटर्नशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए खुद को अयोग्य कर लिया।

(8) कर्मचारी सदस्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा, निराधार और प्रेरित होने से इनकार किया गया था।यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता के साथ असंसदीय भाषा का उपयोग करते हुए विभाग के माहौल को बिगाड़ दिया और वह 8 वें सेमेस्टर का शुल्क जमा किए बिना इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अनुचित पक्ष चाहती थी। कर्मचारी सदस्य ने नियमों के अनुसार कार्य किया; इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अपनी कमी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(9) निदेशक, यू. आई. एल. एस. द्वारा एक अतिरिक्त शपथ पत्र भी दायर किया गया था और पहले के हलफनामे में की गई याचिकाओं को दोहराने के अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि दिनांक 06.07.2018 (आर-2) के अनुसार, उन सभी छात्रों को एक विशेष मौका दिया गया था जो मई/जून 2018 में 'क्लैश या स्पोर्ट्स इवेंट्स या मेडिकल ग्राउंड' के कारण अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे।यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा 12.06.2018 पर प्रस्तुत आवेदन को 13.06.2018 पर परीक्षा

नियंत्रक को अग्रेषित किया गया था; परीक्षा शाखा के कार्यवाहक अधिकारी ने याचिकाकर्ता को 25.06.2018 को टेलीफोन पर सूचित किया कि उसके मामले को पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर द्वारा चिकित्सा आधार पर मंजूरी दे दी गई है और वह जब भी डेट-शीट जारी की जाती है तो उपस्थित हो सकती है।अतिरिक्त शपथ पत्र के पैरा 5 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि "प्रतिवादी संस्थान द्वारा दिनांक 06.07.2018 (R-2) के अनुसार परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई थी।"

(10) इस मामले की सुनवाई वर्चुअल मोड द्वारा की गई। याचिकाकर्ता ने अपने मामले में स्पष्टता के साथ तर्क दिया जिसकी अच्छी समझ वाले वकील से उम्मीद की जा सकती थी और निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:-

सुचना पुस्तिका के दिशा - निर्देश 9 के खंड (vi) को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को 6 वें सेमेस्टर के लिए कम्पार्टमेंट/पुनः उपस्थित उम्मीदवार के रूप में मानते हुए फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति के लाभ को बंद करने के लिए प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

(ii) उस प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता का नाम यू. आई. एल. एस. की सूची से हटा दिया और उसके करियर को नष्ट करने के लिए, जो स्पष्ट रूप से कानूनी द्वेष से पीड़ित है, बुरे विश्वास के कारण 9 वें सेमेस्टर में उसके इंटर्नशिप कार्यक्रम को समाप्त कर दिया।

iii) प्रतिवादी की वह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि कुलपति या नियंत्रण बोर्ड, यू. आई. एल. एस. द्वारा आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता के इस दावे को ख़ारिज करते हुए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जब उसे कम्पार्टमेंट/री-अपीयर उम्मीदवारों के साथ-साथ फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति की श्रेणी में

मानते हुए; और न ही आज तक 26.06.2019,10.07.2019 और 19.07.2019 (पी-4, पी-5 और पी-8) के विवादित पत्र/संचार के अलावा ऐसे किसी भी आदेश की प्रति उसे प्रदान की गई है;

(iv) प्रतिवादी की उस कार्रवाई के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को अत्यधिक मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है; इस प्रकार, उसकी पढ़ाई के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

(11) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का जोरदार विरोध किया और निम्नानुसार प्रस्तुत कियाः— (I) चूंकि याचिकाकर्ता अपनी पिछली परीक्षा यानी 6 वें सेमेस्टर में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रही, क्योंकि वह फ्रेंच-3 के पेपर में उपस्थित नहीं हुई थी, इसलिए, दिशानिर्देश 9 के खंड (vi) को देखते हुए, उसके मामले को कंपार्टमेंट/पुनः उपस्थित उम्मीदवार के रूप में मानते हुए फ्रीशिप/शुल्क रियायत का लाभ उचित रूप से वापस ले लिया गया है।

(II) तीन अवसरों का लाभ उठाने के बावजूद अर्थात पहला मई 2018 में; दूसरा जुलाई 2018 में; और तीसरा मई 2019 में, याचिकाकर्ता अपना फ्रेंच-III का पेपर पास नहीं कर सकी और उसने 8 वें और 9 वें सेमेस्टर के लिए शुल्क भी जमा नहीं किया; इसलिए, उसका नाम विभाग की सूची से सही ढंग से हटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इंटर्नशिप कार्यक्रम की स्वतः समाप्ति हो गई जो प्रतिवादी की ओर से बिलकुल प्रामाणिक अभ्यास है।

(III) याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसके पिता द्वारा किए गए सभी अभ्यावेदनों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत विचार किया गया था और उन्हें क्रमशः 26.06.2019,10.07.2019 और 19.07.2019 (पी-4, पी-5 और पी-8) दिनांकित विवादित पत्रों/संचारों के बारे में समय पर सूचित

किया गया है, इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं है;

(IV) याचिकाकर्ता अपनी गलती का लाभ उठाना चाहती है, क्योंकि उसने न तो समय पर शुल्क जमा किया और न ही 6 वें सेमेस्टर के फ्रेंच III पेपर को पास किया, इसलिए, उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

(12) दोनों पक्षों को सुनने और पेपर बुक के अवलोकन के बाद, विवादग्रस्त मामले के निर्णय के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को रखा गया हैः

ए) क्या दिशानिर्देश संख्या 9 (पी-9) के खंड (vi) को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के मामले को 6 वें सेमेस्टर के लिए एक कम्पार्टमेंट/ पुनः उपस्थित उम्मीदवार के रूप में विचार करते हुए फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति का लाभ वापस लेने के लिए प्रतिवादी की कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ है?

ख) क्या याचिकाकर्ता को विभाग की सूची में नहीं रखते हुए और परिणामस्वरूप उसके इंटर्नशिप कार्यक्रम को समाप्त करते हुए प्रतिवादी की कार्रवाई कानूनी द्वेष पर आधारित है और इसे दरकिनार किया जा सकता है?

ग) क्या याचिकाकर्ता के फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति के दावे को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है?

(घ) क्या प्रतिवादी की कार्रवाई ने याचिकाकर्ता के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा किया है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है?

<u>बिंदु ए</u>

(13) दिशानिर्देश सं 9 विवादग्रस्त मामले के निर्णय के लिए पुस्तिका की सामग्री होगी, इसलिए, उसी का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाला गया हैः-

"9. फ्रीशिप और ट्यूशन शुल्क रियायत के लिए दिशानिर्देशः

(i) पंजाब विश्वविद्यालय/संस्थानों/पंजाब विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्रों में चल रहे सभी आंशिक रूप से स्व-सहायक पाठ्यक्रमों/विभागों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय पांच प्रतिशत सीटें निःशुल्क प्रदान कर सकता है।

(ii) फ्रीशिप का मतलब केवल (ट्यूशन शुल्क + प्रयोगशाला शुल्क) रियायत होगी, जिसका छात्रों द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाएगा।

(iii)।

((iv) संबंधित नियंत्रण बोर्ड/सह-अध्यादेशकों को उन उम्मीदवारों की सूची बनानी होगी जो फ्रीशिप रियायत के लिए पात्र हैं।

(v) उपरोक्त रियायत के उद्देश्य से, उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (60 प्रतिशत अंक-प्रमाण जोड़ा जाना चाहिए) और कुल सभी स्रोतों से परिवार की आय रु 2.50 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय के प्रमाण के लिए रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रति वर्ष ढाई लाख रुपये का आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने पर स्वीकार किया जाएगा, जिसका अर्थ होगा तहसीलदार, एस. डी. एम. या नियोक्ता, जैसा भी मामला हो।इसके अलावा कुल पारिवारिक आय का पूरा विवरण देते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।पीला कार्ड/पीला राशन कार्ड रखने वाले उम्मीदवारों को अन्य

उम्मीदवारों पर वरीयता दी जाएगी बशर्ते योग्यता की अन्य शर्तें समान रहें।

(vi) किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के पहले वर्ष के दौरान छात्रों को दी गई स्वतंत्रता को जारी रखने के लिए, निम्नलिखित शर्त लगाई जानी चाहिएः "यदि कोई छात्र विज्ञान के छात्रों के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों और विज्ञान के अलावा अन्य विभागों में छात्रों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो बाद के वर्षों में भी यह स्वतंत्रता जारी रहेगी।छात्र को पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए थी यानी उसके पास पुनः उपस्थिति या कम्पार्टमेंट नहीं होना चाहिए।" निचली परीक्षा में उत्तीर्ण विस्तृत अंक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी धनवापसी प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।"

(14) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में सत्र 2014-15 के लिए 10+2 परीक्षा में टॉपर थी; 5 साल के बी. ए., एल. एल. बी. पाठ्यक्रम में रोल नंबर 23/2015 के तहत प्रवेश दिया गया और उन्हें प्रतिवादियों द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई, जिसका उन्होंने चौथे सेमेस्टर तक लाभ उठाया।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने भी अपने 5 वें सेमेस्टर के लिए अर्हता प्राप्त की, लेकिन वह अपनी बीमारी के कारण 6 वें सेमेस्टर के एक पेपर (फ्रेंच III) में उपस्थित नहीं हो सकी।दिनांक 12.05.2018 (पी-1 कोली) के चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार उन्हें डॉक्टर द्वारा 5 दिनों के लिए बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी, यानी 12.05.2018 से 16.05.2018 तक और इस संबंध में यू. आई. एल. एस. को विधिवत सूचित किया गया था।रिट याचिका के पैरा 3 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता का चिकित्सा प्रमाण पत्र विधिवत रूप से यू. आई. एल. एस. के क्लर्क को सौंप दिया

गया था और याचिका के पैरा 3 और 4 प्रासंगिक होने के कारण, निम्नानुसार निकाले गए हैंः- "3. कि याचिकाकर्ता की सेमेस्टर-VI परीक्षाओं में, जो मई 2018 में आयोजित की जा रही थीं, याचिकाकर्ता गंभीर चिकित्सा बीमारी के कारण अपनी फ्रेंच परीक्षा (दिनांक 13.05.18 पर निर्धारित) में उपस्थित नहीं हो सकी और उसी का एक चिकित्सा प्रमाण पत्र विभाग को सौंपा और संबंधित क्लर्क श्रीमती परवीन के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद उसी की एक प्रति रखी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को 'प्राप्त करने' के रूप में रखा गया है।(संलग्नक पी1 के रूप में संलग्न)।

4. उसके परीक्षा न देने के कारण के रूप में 'मेडिकल' को चिह्नित करने के बजाय, विभाग ने याचिकाकर्ता को फ्रांसीसी परीक्षा के लिए अनुपस्थित को चिह्नित किया, जिसने याचिकाकर्ता को पुनः उपस्थित/कम्पार्टमेंट उम्मीदवारों की श्रेणी में डाल दिया, जो निश्चित रूप से मामला नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र की एक प्रति भी अपने पास साक्ष्य प्राप्ति के रूप में रखी क्योंकि उसके पास छात्रों के दस्तावेजों को गलत तरीके से रखने का पिछला रिकॉर्ड था।"

(15) यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिवादी या संबंधित लिपिक द्वारा पैरा संख्या 3 में किए गए अभिकथनों का कोई विशिष्ट खंडन नहीं है। प्रतिवादी याचिकाकर्ता की बीमारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन संबंधित क्लर्क द्वारा संबंधित समय पर को अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं भेजने के कारण, वह पूरे एक वर्ष के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागने के लिए मजबूर थी।हालांकि अतिरिक्त शपथ पत्र के पैरा 2 में, प्रतिवादी द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पिता ने 12.06.2018 को निदेशक, यू. आई. एल. एस. को इस आशय का आवेदन

प्रस्तुत किया कि वह गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण 12 मई से 16 मई, 2018 तक अपनी परीक्षा नहीं दे सकी; उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए परीक्षा नियंत्रक 13.06.2018 को भेजा गया था; याचिकाकर्ता को परीक्षा शाखा के कार्य अधिकारी द्वारा 25.06.2018 को टेलीफोन पर सूचित किया गया था कि उसके मामले को स्वास्थ्य केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर द्वारा चिकित्सा आधार पर फ्रेंच-III के पेपर के पुनः संचालन के संबंध में मंजूरी दे दी गई है; जब भी डेट शीट जारी की जाती है, वह उपस्थित हो सकती है; लेकिन, प्रतिवादी द्वारा विशेष रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि "प्रतिवादी संसथान द्वारा 06.07.2018 (R-2) की डेट शीट की अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत सुचना नहीं दे गयी थी।"

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एक वर्ष की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई थी कि चिकित्सा आधार पर फ्रेंच-III पेपर के लिए उनके अनुरोध को कुलपति या यूआईएलएस द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया है। प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज या आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता को चिकित्सा आधार पर फ्रेंच-III पेपर के संबंध में उसके अनुरोध के भाग्य के बारे में सूचित किया गया था।यह केवल एक वर्ष की अवधि के बाद है, प्रतिवादी ने विवादित संचार भेजे हैं और याचिकाकर्ता कि वह फ्रेंच-III पेपर के लिए अनुपस्थित रही, इसलिए, उसके मामले को दिशानिर्देश 9 के खंड (vi) के तहत आश्रय लेते समय कम्पार्टमेंट/फिर से उपस्थित होने के रूप में माना गया है।
(16) यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर (2007) के अध्याय VIII, खंड II के खंड 7.1 के अनुसार, कुलपति द्वारा

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और अवसर देने का प्रावधान है, यदि कोई उम्मीदवार गंभीर बीमारी के कारण परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ रहा है और उपवाक्य महत्वपूर्ण होने के कारण, निम्नानुसार निकाला गया हैः-

" 7.1 यदि परीक्षा के लिए स्वीकार किया गया कोई उम्मीदवार अपनी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने या उसे पूरा करने में असमर्थ रहा है, या परीक्षा के एक दिन में किसी निकट संबंधी की मृत्यु के कारण अपनी परीक्षा पूरी करने में असमर्थ रहा है, तो उसे कुलपति द्वारा उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक और अवसर दिया जा सकता है, यदि वह प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से संतुष्ट है, कि आवेदन की गई रियायत उचित है।"

(17) उपरोक्त कानूनी प्रावधान के बावजूद, याचिकाकर्ता को चिकित्सा आधार पर अपने फ्रेंच-III पेपर को लेने के लिए एक मौका देने के उसके दावे को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है।यद्यपि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को एक कम्पार्टमेंट/पुनः उपस्थित उम्मीदवार के रूप में माना है, लेकिन कुलपति द्वारा पारित ऐसा कोई आदेश आज तक उन्हें प्रदान नहीं किया गया है; विवादित पत्रों/संचारों को छोड़कर; जिसे इस न्यायालय की राय में, सक्षम प्राधिकारी-कुलपति या नियंत्रण मंडल का आदेश नहीं कहा जा सकता है।

(18) ऐसा लगता है कि प्रतिवादी का केवल एक ही उद्देश्य है अर्थात याचिकाकर्ता को एक कम्पार्टमेंट/फिर से उपस्थित होना उम्मीदवार माना है ताकि दिशानिर्देश 9 के खंड (vi) की आड़ में उसको फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति के लाभ का दावा करने से वंचित किया जा सके। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी को यकीन नहीं है कि याचिकाकर्ता का मामला पुनः

परीक्षा या कम्पार्टमेंट की श्रेणी में आ रहा है या नहीं। लेकिन उन्होंने अस्पष्ट रूप से दोनों का उल्लेख किया है यानी कम्पार्टमेंट/पुनः परीक्षा।

(19) यह स्वीकार करते हुए, उसकी तीव्र बीमारी के कारण याचिकाकर्ता 14.05.2018 पर फ्रेंच-III पेपर में उपस्थित होने का अपना पहला मौका नहीं ले सकी; इसलिए, किसी भी तरह की कल्पना से, यह माना जा सकता है कि उसने दिशानिर्देश 9 के खंड (vi) के संदर्भ में अपना पहला प्रयास किया था।

दूसरा एक अभ्यर्थी को पुनः परीक्षा की श्रेणी में तभी रखा जा सकता है जब विद्यार्थी पहले मौके पर उपस्थित रहा हो, लेकिन पुनरावृत्ति के लिए, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता अपनी बीमारी के कारण पहली बार उपस्थित नहीं हो सकी; इसलिए, उसे फिर से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है।जाहिर है, एक छात्र को कम्पार्टमेंट की श्रेणी में माना जाना चाहिए, अगर वह पिछली परीक्षा में असफल हो जाता है, लेकिन वह भी यहाँ स्थिति नहीं है।

(20) प्रतिवादी का यह रुख कि याचिकाकर्ता को दिनांकित तिथि पत्रक 06.07.2018 के आधार पर विशेष मौका दिया गया था, निम्नलिखित कारणों से भी स्वीकार्य नहीं हैः—

(i) सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि कुछ छात्रों यानि कुल 5 (पाँच) की परीक्षा के लिए दिनांक 06.07.2018 को डेट शीट जारी करने के समय, विश्वविद्यालय को गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद कर दिया गया था और इस तथ्य का प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया था; इसलिए, उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उन्हें प्रतिवादी से प्राप्त किसी भी संचार की अनुपस्थिति में

में चिकित्सा आधार पर दिए जा रहे विशेष अवसर के बारे में जानकारी होगी।

(ii) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विशेष अवसर के बारे में यू. आई. एल. एस. द्वारा कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी गई थी।यहां तक कि प्रतिवादी की यह दलील भी कि याचिकाकर्ता को परीक्षा शाखा के अधिकारी से टेलीफोन द्वारा से संपर्क करके सूचित किया गया था, आश्वस्त करने वाली नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके छात्र के करियर के साथ गंभीर परिणाम होते हैं।

iii) उपरोक्त डेट शीट जारी करने के समय, याचिकाकर्ता को फ्रांसीसी-III पेपर के लिए चिकित्सा आधार पर अपने मामले पर विचार करने के बारे में उसके अनुरोध के भाग्य के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था;

(21) मई 2019 में भी, याचिकाकर्ता ने वास्तव में फ्रेंच-III पेपर के लिए कम्पार्टमेंट/पुनः उपस्थित उम्मीदवार की श्रेणी में आवेदन करने का मौका नहीं लिया, क्योंकि उसे यू. आई. एल. एस. द्वारा मौखिक रूप से बताया गया था कि 6 वें सेमेस्टर के डी. एम. सी. को जमा नहीं करने के कारण उसकी फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है।इस प्रकार, वह फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति का लाभ खोने के लिए काफी आशंकित थी, जब तक कि उसके मामले का फैसला कुलपति द्वारा चिकित्सा आधार पर नहीं किया गया था।ऐसे परिदृश्य में, याचिकाकर्ता को मई, 2018; जुलाई, 2018 और मई, 2019 के दौरान फ्रेंच-III पेपर में उपस्थित नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(22) यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यूआईएलएस के निदेशक ने स्वयं याचिकाकर्ता के काम की सराहना की है और इस संबंध

में दिनांकित 25.04.2017 (P-12) प्रमाण पत्र का संदर्भ दिया जा सकता है, जो नीचे दिया गया हैः-

“यह प्रमाणित किया जाता है कि मिस इशिता उप्पल, पुत्री कैप्टन दीपक उप्पल बी. ए. एल. एल. बी. (ऑनर्स) के चौथे सेमेस्टर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसका रोल नंबर 23/15 है के एक प्रामाणिक छात्र हैं।

यह आगे जोड़ा गया है कि वह परियोजनाओं के साथ बहुत नियमित है और समय पर प्रस्तुत करती है और शोध कार्य को ठीक से पूरा करती है। सभी परियोजनाओं में उनकी भागीदारी बहुत उत्साहजनक है।वह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की धारक हैं।उनकी पिछली प्रोफ़ाइल बहुत ऊँची है।वह अपने विषयों का गहन ज्ञान रखती है।वह सभी सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय हैं।वह अपने काम में नियमित, समयनिष्ठ, भावुक और समर्पित हैं।विभाग को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उनकी इंटर्नशिप पर कोई आपत्ति नहीं है।इसलिए, मैं दृढ़ता से उसके नाम की सिफारिश करता हूं और जीवन में उसकी सफलता की कामना करता हूं।”

(23) उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से, उसकी बीमारी के कारण, वह 14.05.2018 पर एक पेपर के लिए उपस्थित नहीं हो सकी, जो जानबूझकर नहीं था, लेकिन उसके नियंत्रण से बाहर था।

(24) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वास्थ्य समस्या के कारण अपने पहले मौके का लाभ नहीं उठा सकी; इसलिए, कल्पना के किसी भी विस्तार से उसके मामले को कंपार्टमेंट/फिर से पेश होने वाले उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।हैंडबुक के दिशानिर्देश 9 के

अवलोकन से भी, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि गंभीर बीमारी के कारण एक पेपर में किसी छात्र के उपस्थित न होने को भी उम्मीदवार के पुनः उपस्थित होने/ कम्पार्टमेंट के मामले के रूप में माना जाएगा।इस प्रकार, उपरोक्त दिशानिर्देश के खंड (vi) की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है, जो याचिकाकर्ता को फिर से पेश होने/ कम्पार्टमेंट मानते हुए फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने से वंचित कर सके। इसलिए, याचिकाकर्ता पर फिर से पेश होने/ कम्पार्टमेंट में विचार करते समय प्रतिवादी का रुख पूरी तरह से गलत है और दिशानिर्देश 9 के खंड (vi) के इरादे और उद्देश्य के विपरीत है।

(25) इसके अलावा, यह देखते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि खंड (vi) के पाठ को विवाद के वर्तमान विषय के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, यानी एक गरीब छात्र की स्वतंत्रता/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति; इस प्रकार प्रतिवादी को इसकी व्याख्या दिशानिर्देशों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए करनी चाहिए थी न कि उन्हें विफल करने के लिए।

<u>बिंदु बी.</u>

(26) याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसके पिता ने प्रतिवादी को बार-बार अभ्यावेदन दिया कि वह ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी से संबंधित है और उसके पास शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है; इसलिए, प्रतिवादी की संतुष्टि के अनुसार वचन के साथ 8 वें सेमेस्टर शुल्क को इस प्रभाव से माफ करने का अनुरोध किया कि यदि वह 2020 में अपना फ्रेंच-3 का पेपर पास नहीं करती है, तो पूरा शुल्क जमा किया जाएगा।

(27) इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पिता ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 24.06.2019 में, उसकी असहाय बेटी के लिए उनकी गरीबी के कारण दया की प्रार्थना की, और उसी का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः-

"महोदय, यह विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है कि सुश्री इशिता (ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी) आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा हैं।इसमें स्वयं उल्लेख किया गया है कि छात्र के पास नियमित शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।इस तरह उन्हें ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति दी गई।

इसलिए, हम यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कृपया उसका 8 वें सेमेस्टर का शुल्क स्थगित रखें, हम आपकी संतुष्टि के अनुसार आपके कार्यालय को लिखित वचन दे सकते हैं कि यदि वह 2020 में अपनी फ्रेंच परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होती है, तो हम शुल्क यू. आई. एल. एस. को जमा करेंगे। महोदय, एक प्रतिभाशाली छात्रा की 8 वीं सेमेस्टर की फीस रोकने के हमारे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, जो 10+2 की परीक्षा में चंडीगढ़ मॉडल स्कूल टॉपर रही थी, कृपया आवश्यक कार्य करें।हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।"

(28) यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यू. आई. एल. एस. के निदेशक ने भी अपने दिनांक 06.06.2019 (पी-2) के संचार के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह 10 वें सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ अपने फ्रेंच-3 के पेपर के लिए पात्र थी, और उसे इस आश्वासन के साथ 8 वें सेमेस्टर का शिक्षण शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था कि जब भी वह ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत रियायत के लिए पात्र होगी, तो उसका मामला सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा और जो नीचे दिया गया हैः-

"कार्यालय पत्र सं 951/यू. आई. एल. एस. दिनांक 6.6.2019, आपको यह सूचित करने के लिए है कि पृष्ठ 140 पर हस्त सूचना पुस्तिका, 2016 नियम 5 (iii) के अनुसार जो नीचे दिया गया हैः-
“विषम और सम सेमेस्टर दोनों की पुनः उपस्थिति परीक्षा संबंधित प्रत्येक सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ आयोजित की जाएगी।”

इसलिए आप अप्रैल/मई 2020 में 10 वें सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ 6 वें सेमेस्टर की पुनः परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं।
इसके अलावा यह उल्लेख करना उचित है कि आपको 8 वें सेमेस्टर का शिक्षण शुल्क जमा करना चाहिए और बाद में आप जब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रियायत के लिए पात्र होंगे, आपके रियायत के मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारियों को भेज दिया जाएगा।”
(29) उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद, प्रतिवादी ने कोई ध्यान नहीं दिया और दिशानिर्देश संख्या 9 के उद्देश्य के विपरीत पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता के सबसे उचित दावे को खारिज कर दिया और समाज के वंचित खंड को उच्च शिक्षा प्रदान करने की मूल अवधारणा के खिलाफ है।
(30) वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी ने न केवल खंड 7.1 (उपरोक्त) के संदर्भ में गंभीर बीमारी का मामला होने के कारण 6 वें सेमेस्टर के अपने फ्रेंच-3 पेपर को पास करने का अवसर देने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, बल्कि पूरी तरह से मनमाने तरीके से फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति के लाभ को भी अस्वीकार कर दिया है।
(31) इससे भी बदतर, जब याचिकाकर्ता वित्तीय अक्षमता के कारण 8 वें और 9 वें सेमेस्टर के लिए शुल्क का भुगतान करने में समर्थ नहीं था, तो

उसका नाम निदेशक, यू. आई. एल. एस. द्वारा विभाग की सूची से हटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना 19.07.2019 (पी-8) के विवादित पत्र/संचार के माध्यम से इंटर्नशिप कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

(32) यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि इंटर्नशिप कार्यक्रम की समाप्ति के गंभीर परिणाम हो रहे थे; प्रतिवादी ने एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली छात्र के साथ सहयोग करने के बजाय, पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण तरीके से काम किया है, केवल तकनीकी विशेषताओं की सेवा में दबाव डालते हुए उसके करियर को बाधित करने के लिए ताकि वह समय पर अपना बी. ए., एल. एल. बी. पाठ्यक्रम पूरा न कर सके; इस प्रकार, उनके कार्यों से निश्चित रूप से कानूनी द्वेष पैदा होता है।

<u>बिंदु सी</u>

(33) प्रतिवादीओं ने सबसे पहले याचिकाकर्ता के मामले को विभाग के क्लर्क को सौंपे गए उसके चिकित्सा प्रमाण पत्र पर विचार किए बिना फिर से पेश होने/ कम्पार्टमेंट की श्रेणी में माना है; दूसरा, सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति का लाभ वापस लेना; तीसरा, याचिकाकर्ता का नाम विभाग की सूची से हटा दिया गया था और यहां तक कि उसकी इंटर्नशिप भी कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया गया। यह विशेष रूप से देखा गया है कि आज तक, प्रतिवादी ने खंड 7.1 (उपरोक्त) के संदर्भ में याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते हुए न तो कुलपति द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रदान की है और न ही दिशानिर्देश 9 के तहत नियंत्रण बोर्ड, यू. आई. एल. एस. की; लेकिन केवल क्रमशः 26.06.2019,10.07.2019 और 19.07.2019 (पी-4, पी-5 और पी-8) दिनांकित आक्षेपित पत्रों/संचार के माध्यम से सूचना भेजी है, और वह भी एक वर्ष की अवधि के बाद।

(34) हालांकि निदेशक, यू. आई. एल. एस. ने शपथ पत्र/अतिरिक्त शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी यानी कुलपति/नियंत्रण बोर्ड, यू. आई. एल. एस. द्वारा पारित आदेश, याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए फ्रेंच-III पेपर के लिए उसकी गंभीर बीमारी के साथ-साथ फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति को बंद करने के कारण, न तो रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है; न ही आज तक उसे आपूर्ति की गई।

(35) यह बहुत बुनियादी बात है कि किसी की भी बिना सुने ख़ारिज नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह के मामलों को तय करने वाला प्राधिकारी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य है।इतना ही नहीं, इस तरह के आदेश की वैधता को बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारणों को भी दर्ज किया जाना चाहिए।इसके अलावा, तर्क संबंधित प्राधिकारी के मुँह और कलम से आना चाहिए; किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केवल एक शपथ पत्र देना, किसी भी तरह से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का विकल्प नहीं होगा।स्वीकार करते हुए, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आदेश (आदेश) रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है और न ही इसे किसी भी समय याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था/किये गए थे। इसके अलावा, न तो दिनांक 26.06.2019 (P-4) के विवादित पत्र से और न ही दिनांक 10.07.2019 (P-5) के संचार से, यह स्पष्ट है कि क्रमशः कुलपति/नियंत्रण बोर्ड, UILS द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने का क्या कारण था/थे।संदर्भ के लिए, उपरोक्त दोनों विवादित पत्रों/संचारों के पूरे कार्यात्मक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

दिनांकित आदेशः26.6.2019 (पी-4)

"यह आपको सूचित करने के लिए है कि माननीय कुलपति ने बी. ए./बी.कॉम एल. एल. बी. चौथे साल की छात्रा मिस इशिता उप्पल के

पिता श्री दीपक उप्पल के अनुरोध को सत्र 2018-2019 के लिए उपरोक्त विषय पर स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उसका मामला नियमों और दिशानिर्देशों के तहत जायज नहीं है।"

दिनांकित आदेश 10.7.2019 (पी-5)

"यह आपके पत्र जिसमे 8 वे सेमेस्टर का शिक्षण शुल्क रोकने के पुनर्विचार के स्न्धर्भ में है; यह आपको सूचित करने के लिए है कि यू. आई. एल. एस. के नियंत्रण बोर्ड के सदस्य 8.7.2019 पर आयोजित अपनी बैठक में शुल्क रखने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया हैं।"

(36) विवादित पत्रों/संचारों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते समय कुलपति/नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई कारण (कारणों) नहीं सौंपा गया था; इस प्रकार, निदेशक, यू. आई. एल. एस. द्वारा शपथ पत्र दाखिल करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को सही ठहराने के लिए ऊपर उल्लिखित सक्षम अधिकारियों के आदेशों का विकल्प नहीं होगा।

(37) कुलपति को खंड 7.1 (उपरोक्त) के तहत गंभीर बीमारी आदि की स्थिति में उम्मीदवारों को उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उनकी संतुष्टि के बाद उसी वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक और अवसर देने की शक्तियां सौंपी गई हैं; इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अस्वीकृति आदेश पारित करने से पहले अपना मामला साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।चूँकि कुलपति और नियंत्रण बोर्ड याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर देने में विफल रहे हैं, इसलिए इस न्यायालय की राय में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।

(38) इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि किसी राष्ट्र की समृद्धि भारी राजस्व के संग्रह पर, या लाभ और हानि के सूत्र को अपनाने के

कारण या ऊंची इमारतों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि अपने नागरिकों की कड़ी मेहनत के आधार पर, विशेष रूप से, राष्ट्रीय हित में ईमानदारी के साथ-साथ पूर्ण समर्पण के साथ मानवीय मूल्यों की बेहतर समझ रखने वाले और अच्छी शिक्षा द्वारा से विकसित होने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है।

(39) यह भी उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, राधाकृष्णन की अध्यक्षता में प्रथम उच्च शिक्षा आयोग का गठन वर्ष 1948 में किया गया था, जिसने शिक्षा से संबंधित हर पहलू और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित प्रासंगिक भाग को शामिल करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी-

"35. आर्थिक बाधाएं-आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई युवाओं को वह अवसर नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं और राष्ट्र बड़ी मात्रा में संभावित नेतृत्व से वंचित है जैसे कि विज्ञान और छात्रवृत्ति, उद्योग और वाणिज्य।अगर हम समानता के दावे को सार और वास्तविकता देना चाहते हैं, तो हमें एक प्रणाली तैयार करनी होगी जो योग्य व्यक्तियों को आर्थिक बाधाओं से उस तरह की शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोके जिसके लिए वे अपनी योग्यता और रुचियों के लिए उपयुक्त हैं।

अमेरिका में उच्च शिक्षा पर राष्ट्रपति आयोग "ने सिफारिश की है कि सार्वजनिक रूप से नियंत्रित संस्थानों में तेरहवें और चौदहवें स्कूल वर्ष के लिए कोई ट्यूशन या अन्य आवश्यक शुल्क नहीं होना चाहिए, चाहे वे 2-वर्षीय या 4-वर्षीय कॉलेज द्वारा पेश किए गए हों; और चौदहवें स्कूल वर्ष से ऊपर की फीस को जल्द से जल्द 1939 में प्रचलित स्तर तक कम किया जाना चाहिए।भारत में हालात बहुत खराब हैं।अगर हमें सबसे गरीब लोगों को भी केवल कुछ ही नहीं बल्कि उनके द्वारा सक्षम सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, तो हमें छात्रवृत्ति की एक बड़ी और उदार

प्रणाली का आयोजन करना चाहिए जो नीचे से विश्वविद्यालय तक एक सीढ़ी प्रदान करे जिससे कोई भी बच्चा अपनी क्षमता की सीमा तक चढ़ सके।इन छात्रवृत्ति में न केवल ट्यूशन की लागत बल्कि बोर्डिंग, लॉजिंग और अन्य रहने की जरूरतों की लागत शामिल होनी चाहिए।"

(40) फिर भी, रिपोर्ट में निम्नलिखित तरीके से विश्वविद्यालय के कार्य पर प्रकाश डाला गया हैः-

"1. विश्वविद्यालय के कार्य - युवाओं की शिक्षा और नए सत्य की खोज विश्वविद्यालयों के प्रमुख कार्य हैं।आज के लड़के और लड़कियां कल के परिपक्व नागरिक हैं।एडमंड बर्क के अनुसार, एक शिक्षित नागरिक एक विशाल स्थायी सेना की तुलना में एक लोकतांत्रिक देश के लिए एक बड़ी रक्षा है।शोध द्वारा नए ज्ञान का प्रकटीकरण न केवल बौद्धिक क्षेत्र में मानव जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र के तकनीकी और आर्थिक विकास का मुख्य अंग है।विश्वविद्यालय के अंतिम उत्पादों में से व्यक्ति की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों और संग्रहालयों के बावजूद अतीत के संचय को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य अधिक कठिन और महत्वपूर्ण हो जाता है।अज्ञानता प्राचीन काल के विशाल पहलवान एंटायस की तुलना में अधिक दुर्जेय दुश्मन है, जो प्रत्येक गिरावट के बाद आई थी जिसे धरती माता ने मजबूत किया था।हरक्यूलिस हवा में गला घोंटकर उसे नष्ट कर सकता था लेकिन अज्ञानता मानव स्वतंत्रता और खुशी का एक अटूट दुश्मन है जो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है।यह सभी मनुष्यों की प्रगति का विरोधी है जो हमेशा के लिए जितनी जल्दी उसे जीत लिया जाता है उतनी ही तेजी से लौटता है।

2. युवाओं को पढ़ाना विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

विश्वविद्यालय मानवीय और भौतिक तत्वों का समूह है लेकिन छात्र इन इमारतों में सबसे कीमती है और उपकरण आवश्यक हैं, एक सक्षम कर्मचारी अभी भी अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये साधन हैं, उचित रूप से सुसज्जित छात्र वह चरमोत्कृष है जिसकी सबसे अधिक निष्ठापूर्ण कामना की जानी चाहिए। युवा मस्तिष्कों की मुक्ति, व्यक्तिगत गरिमा की चेतना को जागृत करना और नए रंगरूटों को मानव प्रगति और सेवा के लिए समर्पित करना-यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कार्य है।मानव आत्मा के प्रशिक्षण और विकास से बड़ा पृथ्वी पर कोई गंभीर कर्तव्य नहीं है।छात्र विश्वविद्यालय के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय छात्र के लिए मौजूद है और इसलिए, इसे कोई प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए और किसी भी ऐसे उपकरण को नहीं छोड़ना चाहिए जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सभी स्तरों पर छात्रों की संभावनाओं के पूर्ण और सबसे पूर्ण बोध को बढ़ावा दे सके।विश्वविद्यालय में शिक्षा एक छात्र के लिए रुचि और आनंद का स्रोत होनी चाहिए, चाहे उसकी कोई भी विशेषता हो; प्रत्येक छात्र को एक बौद्धिक आदत, मन की मनोवृत्ति, सामाजिक व्यवहार का स्वभाव विकसित करना चाहिए।"

(41) वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त शानदार काम के बिल्कुल विपरीत काम किया है, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद् द्वारा किया गया था, जो बाद में हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने।प्रतिवादीओं ने मामले में कठोर कदम उठाते हुए ऐसा किया

यह एहसास नहीं है कि "छात्र विश्वविद्यालय के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन

विश्वविद्यालय छात्र के लिए मौजूद है।ऐसा लगता है कि ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के एक प्रतिभाशाली छात्र को प्रोत्साहित करने के बजाय, प्रतिवादी ने उसे कुछ हजारों रुपये में बी. ए., एल. एल. बी. पाठ्यक्रम पूरा करने से

रोकने की कोशिश की, जो वह वित्तीय अक्षमता के कारण भुगतान करने में समर्थ नहीं थी।शायद, प्रतिवादी इस तथ्य से अनजान रहे कि वे एक निजी प्रतिष्ठान नहीं चला रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जिसका गौरवशाली अतीत है, जिसने अन्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के अलावा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्रियों सहित कई महान हस्तियों को जन्म दिया है।

(42) यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी की कार्रवाई न केवल विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यों के विपरीत चल रही है, जो महान दूरदर्शियों द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट में व्यक्त किए गए थे; लेकिन, यह भी सरासर गलत है और यह समावेशी शिक्षा की अवधारणा के विरोधी होने के कारण कानून में अक्षम्य है।

बिंदु डी

(43) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पास अच्छी प्रतिभा है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए पूरी तरह से अस्वीकार्य दृष्टिकोण के कारण उसे बहुत आघात सहना पड़ा है।पिछले ढाई साल से प्रतिवादी द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है; इस प्रकार, जाहिर है, उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है।नतीजतन, यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी के कार्यों ने न केवल याचिकाकर्ता के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा किया है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता भी हुई है।

(44) सबसे बढ़कर, समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 24.07.2019 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में, याचिकाकर्ता बी. ए., एल. एल. बी. पाठ्यक्रम के सभी पत्रों में उपस्थित हुआ है; हालाँकि, उसके परिणाम को एक

सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया गया था।सुनवाई के दौरान, अदालत के पूछने पर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता का परिणाम प्रस्तुत करने के लिए शालीनता से सहमति व्यक्त की और जिसे उन्होंने विधिवत प्रस्तुत किया।मुहरबंद लिफाफा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था, लेकिन इस आदेश को निर्देशित करने के समय, इसे खोला गया था और उसी के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अच्छी प्रथम श्रेणी हासिल करते हुए अपना बी. ए., एल. एल. बी. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

(45) ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निम्नानुसार होंगेः-

i) फ्रीशिप/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति का लाभ वापस लेते समय और याचिकाकर्ता के मामले को 6 वें सेमेस्टर के लिए कम्पार्टमेंट/पुनः उपस्थित उम्मीदवार के रूप में मानते हुए प्रतिवादी की कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है;

ii) यू. आई. एल. एस. की सूची पर याचिकाकर्ता के साथ व्यवहार नहीं करते हुए प्रतिवादी की कार्रवाई और उसके इंटर्नशिप कार्यक्रम की परिणामी समाप्ति कानूनी द्वेष पर आधारित है और इसे अलग करने के लिए उत्तरदायी है;

iii) स्वतंत्र/ई. डब्ल्यू. एस. छात्रवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है; इस प्रकार, यह कानून में अक्षम्य है।

iv) प्रतिवादीओं ने पिछले ढाई वर्षों से याचिकाकर्ता को पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण अपनाते हुए परेशान किया है; याचिकाकर्ता को टालने योग्य मुकदमेबाजी के लिए मजबूर किया जिससे मानसिक आघात हुआ; उसकी सुचारू पढ़ाई में बाधा आई, और इस तरह, इसने न केवल उसके

बड़े पूर्वाग्रह का कारण बना है, बल्कि न्याय की विफलता का भी कारण बना है।

(46) उपरोक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय के पास रिट याचिका को अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(47) नतीजतन, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है; क्रमशः 26.06.2019,10.07.2019 और 19.07.2019 (P-4, P-5 और P-8) दिनांकित आक्षेपित पत्रों/संचारों को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।प्रतिवादीओं को बिना किसी और देरी के याचिकाकर्ता को फ्रीशिप/ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति का पूरा लाभ बहाल करने और जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(48) याचिकाकर्ता का अंतिम परिणाम तुरंत घोषित किया जाए।

(49) चूँकि प्रतिवादी ने न केवल मनमाने तरीके से काम किया है, बल्कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित एक महिला छात्र को परेशान करने के लिए पूरे जोश के साथ वर्तमान रिट याचिका का बचाव करते हुए सबसे अनुचित रुख अपनाया है; इसलिए, याचिकाकर्ता उपयुक्त मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये (एक लाख रुपये) की लागत का हकदार होगा।पहली बार में, पंजाब विश्वविद्यालय और यू. आई. एल. एस. द्वारा लागत का भुगतान समान हिस्से में किया जाएगा अर्थात प्रत्येक के लिए Rs.50,000/-। हालाँकि, वे गलती करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से उसी की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(50) पीठ सचिव द्वारा उचित मुहर लगाने के बाद लिफाफा प्रतिवादी के अधिवक्ता आहूजा को वापस कर दिया जाए।

(51) लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देशय के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक - कुलभूषण